भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपील अधिकार क्षेत्र

दाण्डिक अपीलीय सं संख्या 407/2021

(एस. एल. पी. (आपराधिक) संख्या 3194/2021) से उत्पन्न
डायरी सं 8524/2020

राजस्थान राज्य ....अपीलार्थी

बनाम

अशोक कुमार कश्यप ....प्रतिवादी

<u>निर्णय</u>

<u>एम. आर. शाह, जे</u>.

1. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जाता है.

1ए. अनुमति अनुदत्त की जाती है ।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा एस. बी. आपराधिक संशोधन संख्या 1270/2018में दिनांक 12.09.2018 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2018 को रद्द कर दिया जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संक्षेप में, 'पीसी

अधिनियम') की धारा 7 के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थी-आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे और इसके परिणामस्वरूप, पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत कथित अपराध के आरोपी को बरी कर दिया । उक्त आदेश या निर्णय से आहत व असंतुष्ट होकर राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. मूल प्रतिवादी एक पटवारी के रूप में सेवारत था। मूल शिकायतकर्ता जय किशोर और अन्य ने दिनांक 31.08.2010 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया है कि अपने बेटे का अधिवास प्रमाण पत्र और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से अभियुक्त-पटवारी अशोक कुमार कश्यप के समक्ष पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पर अपनी रिपोर्ट का समर्थन करने के बदले में पटवारी ने 2800/- रुपए की रिश्वत की मांग की। जांच करने के बाद जांच एजेंसी ने पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप की विरचना के समय विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष के वकील को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, जिसमें शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत की प्रतिलिपि और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री पर विचार करने और यह पता लगाने के बाद कि प्रथमदृष्टया मामला बनता है और अभियुक्त के बचाव पर इस चरण में विचार नहीं किया जा सकता है, दिनांक 22.06.2018 के आदेश द्वारा पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए।

4. पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने वाले विद्वत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, आरोपी ने 2018 की आपराधिक संशोधन संख्या 1270 दाखिल करके उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन आवेदन को प्रस्तुत किया।

4.1 उच्च न्यायालय के समक्ष, अभियुक्त की ओर से यह प्रतिवाद किया गया कि परिवादी और अभियुक्त के बीच बातचीत को अभिलिखित करने वाले प्रतिलिपि के आधार पर भी, पी. सी. अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोई मामला नहीं बनता है। यह कथन किया गया कि प्रतिलिपि से यह पता चलता है कि अभियुक्त ने वास्तव में वास्तविक निवास प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया और दिनांक 29.08.2010 को फॉर्म वापस कर दिया जिससे उसके समक्ष कोई काम लंबित नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि पूरी प्रतिलिपि पढ़ने पर 2800/- रुपये की मांग का तथ्य सामने नहीं आता है।

4.2 पुनरीक्षण आवेदन का विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया गया था। चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), ए आई आर 2010 एस सी 1446 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप की विरचना के चरण में, न्यायालय से यह पता लगाने की दृष्टि से अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या उससे उभरने वाले तथ्य, उनके फेस वैल्यू पर लिए गए हैं, कथित अपराध को गठित करने वाले सभी अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि

प्रतिलिपि से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की गई थी।

4.3 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदन को अनुज्ञात किया है और पीसी अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करते हुए विद्वत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अभिखंडित और अपास्त कर दिया है और परिणामतः पैराग्राफ 10 और 11 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी करके अभियुक्त को अभिकथित अपराध से उन्मोचित कर दिया हैः

> "10. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता, जब भ्रष्टाचार विरोधी विभाग गया था, ने स्वयं उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट किए बिना फॉर्म लौटा दिया था। अभिलेख पर उपलब्ध प्रतिलिपि से, यह स्पष्ट है कि बैंक फाइल से संबंधित कुछ पूर्व लेनदेन पक्षकारों के बीच लंबित थे और मामला रु. 4850/- से संबंधित था, जिसमें से याची के अनुसार, रु.4000 /- बैंक को भुगतान किया जाना था और उसने प्रतिलिपि में याचिकाकर्ता द्वारा देय कुल राशि के बारे में बताया है। वास्तविक निवास प्रमाण पत्र बनाने की कोई विशिष्ट मांग नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता ने प्रतिलिपि में उल्लेख किया था कि चूंकि शिकायतकर्ता और उसका बेटा आगरा (यूपी) में रह रहे हैं, इसलिए वास्तविक निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। इस

मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह मामला पांच साल से अधिक समय से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास लंबित है। याचिकाकर्ता द्वारा धन की कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई है और प्रतिलिपि की तारीख पर उसके समक्ष कोई मामला लंबित नहीं था।

11. इसे ध्यान में रखते हुए, यह प्रतिलिपि के केवल पठन से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध नहीं बन सकेगा।

5. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्तों को आरोपमुक्त करने और विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने और अपास्त करने के लिए, अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता श्री विशाल मेघवाल ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने आरोपित अपराध के अभियुक्त को दोषमुक्त करने में गलती की है जब अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य है और अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा है कि आरोप की विरचना और/या उन्मोचन के लिए किसी आवेदन पर विचार करने के स्तर पर, न्यायालय को यह

विचार करना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं और उस स्तर पर न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल यह पता लगाने के लिए कि क्या उससे उद्भूत होने वाले तथ्य, यदि उनके अंकित मूल्य पर लिए जाएं, कथित अपराध गठित करने वाले सभी घटकों के अस्तित्व का मूल्यांकन करे या नहीं।

6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने गुणों के आधार पर प्रतिलिपि/साक्ष्य के मूल्यांकन में गंभीर त्रुटि की है जो उन्मोचन के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में अनुज्ञेय नहीं है।

6.3 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच बातचीत को अभिलिखित करने वाली प्रतिलिपि से अवैध परितोषण की मांग का मामला बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त को पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए आरोपित किया गया है और इसलिए पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए एक प्रयास भी पर्याप्त है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने उन्मोचन आवेदन पर विचार करने के चरण में गुण-दोष के आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन करने में गलती की है, जो, इस प्रकार, अननुज्ञेय है और पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के उपयोग के दायरे से परे है।

6.4 राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एससीसी 398, श्रीलेखा सेंतिल कुमार बनाम उप पुलिस, अधीक्षक, सीबीआई, एसीबी चेन्नई(2019) 7

एससीसी 82, असीम शरीफ बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (2019) 7 एससीसी 148 और कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस थाना बेंगलुरु बनाम एम.आर हीरेमठ, (2019) 7 एससीसी 515 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर काफी भरोसा किया है।

7. प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वत अधिवक्ता ने पुरजोर रूप से तर्क दिये है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और जैसा कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच बातचीत को रिकॉर्ड करने वाली प्रतिलिपि से पता चला है कि पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने वाले विद्वत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करके अभियुक्त को उचित रूप से बरी कर दिया है। विद्वत अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त के लिए यह तर्क दिया गया है कि, इस प्रकार, अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के आगरा के स्थायी निवासी होने के बारे में जानने के बाद निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया । यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में शिकायतकर्ता चाहता था कि राजस्थान राज्य में अवैध रूप से एक फर्जी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए, जबकि वह आगरा का स्थायी निवासी था । यह प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने दिनांक 29.08.2010 को शिकायतकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए एक रिपोर्ट दी और इसलिए, अभियुक्त के समक्ष कुछ भी कार्य लंबित नहीं था और शिकायतकर्ता के आवेदन के संबंध में निर्णय पहले ही लिया जा चुका था ।

7.1 यह कथन किया गया है कि वास्तव में अभियोजन और यहां तक कि शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार भी ट्रेप विफल हो गया और

अभियुक्त ने ट्रेप कार्यवाहियों में रिश्वत प्रतिग्रहण करने से इनकार कर दिया।

7.2 यह कथन किया गया है कि बातचीत के समय दो व्यक्ति उपस्थित थे, (1) शिकायतकर्ता जय किशोर और (2) देवी सिंह। शिकायतकर्ता के साथ-साथ देवी सिंह के साथ बातचीत का मिश्रण था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक शिकायतकर्ता का संबंध है, अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से कोई भी रिश्वत प्रतिग्रहण करने से इनकार कर दिया।
तथापि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता ने अपने बकाये के संबंध में देवी सिंह की बातचीत को मिलाने के द्वारा न्यायालय को भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश की है जिसमें बैंक को, 4850/- रुपये दिये जाने बकाया थे जिसके विरुद्ध उसने रु. 2000/- का भुगतान किया है और रु. 2850 /- की शेष राशि बैंक को देय थी. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक शिकायतकर्ता का संबंध है, न तो कोई स्वीकृति थी और न ही रिश्वत की कोई मांग थी और इसलिए अभिलेख पर सामग्री/साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को उचित रूप से बरी कर दिया है।

7.3 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वत वकील ने ***दिलावर बालू कुरणे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2002) 2 एस. सी. सी. 135***के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आरोप की विरचना के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय को यह पता लगाने के सीमित प्रयोजन के

लिए कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं और जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह प्रकट करती है, आरोप की विरचना और विचारण की कार्यवाही में न्यायालय को पूरी तरह से न्यायोचित ठहराया जाएगा। तथापि, कुल मिलाकर, यदि दो मत समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कुछ संदेह तो पैदा होगा किंतु गंभीर संदेह नहीं होगा तो वह अभियुक्त को आरोप मुक्त करने के लिए पूरी तरह से न्यायोचित होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए मामला बनाने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य है या नहीं, उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर साक्ष्य का मूल्यांकन करना उचित था।

7.4 शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच बातचीत को अभिलिखित करने वाली प्रतिलिपि पर विस्तार से ले जाने के बाद संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुण-दोष के आधार पर अन्य कई प्रस्तुतियां की गई है। तथापि, आरोप की विरचना के स्तर पर और/या उन्मोचन आवेदन पर विचार करते समय, हम आरोपों के गुणागुण और अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर विस्तार से जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि इसमें इसके नीचे दिए गए कारण इस स्तर पर अनुज्ञेय नहीं हैं.

8. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने वाले विद्वत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और परिणामस्वरूप कथित

अपराध के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है. अभियुक्त को उन्मोचन करते समय उच्च न्यायालय के साथ क्या तुलना की गयी है , इसका उल्लेख आक्षेपित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 10 और 11 में किया गया है, जो इसमें ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

9. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश की वैधता पर विचार करते समय, इस विषय पर कानून और इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक है।

9. 1 पी. विजयन (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 पर विचार करने का अवसर मिला कि आरोप की विरचना के समय और/या उन्मोचन आवेदन पर विचार करते समय किस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, उक्त निर्णय में विस्तार से विचार किया गया है।यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 227 के प्रक्रम पर न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्य को छानना है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आदेश के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।यह मत व्यक्त किया गया है कि दूसरे शब्दों में, आधारों की पर्याप्तता पुलिस द्वारा अभिलिखित साक्ष्य या न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की प्रकृति को अपने दायरे में लेगी जो प्रकट करती है कि अभियुक्त के विरुद्ध संदिग्ध परिस्थितियां हैं जिससे कि उसके विरुद्ध आरोप विरचित किया जा सके।आगे यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के अधीन आरोप विरचित करेगा, यदि नहीं तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करेगा।आगे यह मत व्यक्त किया गया है कि यह अवधारित आदेश के लिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के लिए कोई मामला बनाया गया है, मामले के पक्ष और विपक्ष

में या साक्ष्य और संभाव्यताओं के तौल और संतुलन में प्रवेश करना न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है जो वास्तव में विचारण शुरू होने के बाद न्यायालय का कार्य है।

9. 2 एम. आर. हिरेमथ (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के हाल के विनिश्चय में, हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़) ने पीठ के लिए बोलते हुए पैराग्राफ 25 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है:

> 25. उच्च न्यायालय को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए था कि निचली अदालत सीआरपीसी की धारा 239 के प्रावधानों के तहत आरोप मुक्त करने के आवेदन पर विचार कर रही थी।इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मापदंडों की अभिव्यक्ति इस न्यायालय के कई निर्णयों में हुई है।यह विधि का एक निर्धारित सिद्धांत है कि उन्मोचन के लिए आवेदन पर विचार आदेश के चरण में न्यायालय को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है और यह निर्धारित आदेश के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सामग्री से उत्पन्न तथ्य, उसके वास्तविक मूल्य पर, अपराध के गठन के लिए आवश्यक सामग्रियों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।टी. एन. बनाम एन. सुरेश राजन [राज्य टी. एन. बनाम एन. सुरेश राजन, (2014)

11 एस. सी. सी. 709] वाले मामले में, इस विषय पर पहले के विनिश्चयों का विज्ञापन करते हुए, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया (एससीसी पीपी.721-22, पैरा 29)

"29....इस स्तर पर, सामग्री का संभावित मूल्य जाना है और न्यायालय से मामले में गहराई से जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सामग्री दोषसिद्धि की अपेक्षा नहीं करेगी।हमारी राय में, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह उपधारणा करने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और यह नहीं कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार बनाया गया है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि न्यायालय यह सोचता है कि अभियुक्त ने अपने सम्भावित मूल्य पर अभिलेख पर सामग्री के आधार पर अपराध किया है, तो वह आरोप तय कर सकता है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। कानून इस चरण में एक मिनी ट्रायल की अनुमति नहीं देता है।

10. अब हम उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले में यह पता लगाने के लिए लागू करेंगे कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए आरोपी को बरी आदेश में उचित था?

11. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और अभियुक्त को उन्मोचन करते समय उच्च न्यायालय के साथ तौले गए आधारों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अपनी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227/239 के दायरे से परे कार्य किया है।अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय, उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है और यह विचार किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने की संभावना है या नहीं।उपर्युक्त के लिए, उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच बातचीत की प्रतिलिपि पर विस्तार से विचार किया है जो उन्मोचन आवेदन पर विचार करने और/या आरोप की विरचना बिल्कुल भी अनुज्ञेय नहीं है । जैसा कि आरोप की विरचना के चरण में विद्वत विशेष न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से मत व्यक्त किया गया और अभिनिर्धारित किया गया है, यह देखा जाना है कि क्या प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं और अभियुक्त के बचाव पर विचार नहीं किया जाना है.शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच बातचीत की प्रतिलिपि सहित अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, विद्वत विशेष न्यायाधीश ने यह पाया कि पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत कथित अपराध का प्रथमदृष्टया मामला है, कथित अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किया । उच्च न्यायालय ने प्रतिलिपि पर विस्तार से विचार करने के अभ्यास को नकारते हुए और यह विचार

करते हुए कि क्या अभिलेख पर सामग्री के आधार पर अभियुक्त को पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने की संभावना है या नहीं, वस्तुतः गलती की। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय से यह विचार करने की अपेक्षा की गई थी कि क्या प्रथमदृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं और क्या अभियुक्त पर आगे और मुकदमा चलाने की आवश्यकता है या नहीं। आरोप तय करने और/या डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करने के चरण में, मिनी ट्रायल की अनुमति नहीं है।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीसी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, यहां तक कि एक प्रयास भी एक अपराध है । इसलिए, उच्च न्यायालय ने डिस्चार्ज आवेदन के चरण में एक मिनी ट्रायल करने में गलती की है और/या उससे अधिक कर दिया है।

12. हम मामले के गुण-दोष और/या प्रतिलिपि के गुण-दोष पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इस पर विचारण के समय विचार किया जाना आवश्यक है। आरोप की विरचना के चरण में और/या उन्मोचन आवेदन के चरण में गुण-दोष के आधार पर प्रतिरक्षा पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपी को बरी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द और अपास्त किया जाना चाहिए और तदनुसार रद्द और अपास्त किया जाता है और पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए विद्वत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को फिर से बहाल किया जाता है। अब पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए सक्षम

अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ कानून और उसकी अपनी मेरिट के अनुसार मुकदमा चलाया जाना है।

.....जे.
[डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़]

.....जे.
[एम. आर. शाह]

नई दिल्ली
13 अप्रैल, 2021

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.